न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 72/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00043**

1. मोहन सिह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी चक 143 आरडी गांव ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्योपतराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. देवी लाल पुत्र श्री गौरीशंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी वार्ड नं. 14 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. अशोक कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 13/29 नया सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री महावीर प्रसाद शर्मा एवं मदन सुरोलिया — अभिभाषक अपीलांट
श्री विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
श्री बहादुरराम सुथार — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 5

निर्णय

दिनांक 18.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.08.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ में अपीलांट मोहनसिंह पुत्र हरिसिंह ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि चक नं. 143 आर.डी पत्थर नं. 192/11 किला नं. 1 ता 15 कुल 15 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नत्थूराम बिश्नोई का पुख्ता आवंटन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खाली पड़ी पुख्ता आवंटन भूमि को अपीलांट एवं अपीलांट के भाई गत 25 वर्ष से निरन्तर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाने एवं नियमों की अवहेलना करने पर उक्त आवंटन खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 07.08.2019 को यह कहते हुए खारिज किया कि लगभग 40 वर्ष पुराने आवंटन को मात्र शिकायत के आधार पर खारिज करना उचित नहीं हैं। उक्त आदेश दिनांक 07.08.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की। जिसमें दिनांक 17.09.2019 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नं. 1(17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

17.10.2019 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण उक्त अपील इस न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु हस्तान्तरित की गई।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की माता श्रीमती सोना देवी पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी ठेठार के नाम से चक नं. 143 आरडी पत्थर नं. 192/11 किला नं. 16 ता 25 की कुल 10 बीघा भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसी चक नं. 143 आरडी पत्थर नं. 192/11 किला नं. 1 ता 15 की कुल 15 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नत्थूराम बिश्नोई को पुख्ता आवंटन है। स्थाई आवंटन नियम 1975 के तहत पुख्ता आवंटन के पश्चात निर्धारित समय में आंवटित भूमि का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। उक्त पुख्ता आवंटन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्थाई आंवटन नियम 1975 की पालना नहीं की। जनरल कॉलानी कण्डीशन्स 1955 के तहत पुख्ता आवंटी को खुद काश्त करना गांव में रिहायश करना एवं प्रत्येक वर्ष आवंटित भूमि का ज्यादा से ज्यादा भूमि काश्त योग्य बनाना नितान्त आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ने जनरल कॉलानी कण्डीशन्स 1955 की पालना नहीं की। उक्त वादग्रस्त भूमि को अपीलांट एवं अपीलांट के भाई गत 25 वर्ष से निरन्तर काश्त करता आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि आवंटन पत्रावली तलब की और बिना अवलोकन किये ही अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन भूमि तथ्य छुपाकर व गलत ब्यानी कर भूमि आवंटित करवायी हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट संख्या 4 देवी लाल को विक्रय कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्योपतराम को विधि विरूद्ध बैचान कर दी हैं। भूमि के बार—बार विक्रय होने से स्पष्ट है कि बैचान व आवंटन सद्भावी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नत्थूराम पुत्र सोहनराम को भूमिहीन आवंटन पत्रावली संख्या 3734/74 दिनांक 16.01.1976 को भूमिहीन 'ए' श्रेणी में 12 बीघा कमाण्ड/सिंचित भूमि का पात्र घोषित किया गया। नत्थूराम को 16.01.1976 को 15 बीघा 'एफ' श्रेणी की अनकमाण्ड/असिंचित भूमि आवंटित चक 143 आर.डी के मुरब्बा नं. 13/29 में आवंटन हुई । आंवटन उपरांत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मौके पर कब्जा दिया गया। जिस पर काबिज होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काश्त करता रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन नियमों के तहत उक्त भूमि खातेदारी अधिकार तत्कालिन समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये जिसका राजस्व रिकॉर्ड अंकन जरिये इंतकाल संख्या 108 दिनांक 21.12.2012 को दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बतौर खातेदार उक्त भूमि को श्योपतराम पुत्र साहबराम को विक्रय कर दी। जिसका नामांतरकरण संख्या 116 दिनांक 21.05.2013 को स्वीकृत किया गया। श्योपतराम ने उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अशोक कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति अरोड़ा को दिनांक 25.03.2014 को विक्रय कर दी, जिसका नामांतरकरण संख्या 124 दिनांक 21.07.2014 स्वीकृत किया गया। तभी से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के पुख्ता आवंटन को खारिज करने की शिकायत प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त शिकायत को खारिज कर दिया। कानून का यह सिद्धान्त है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थना—पत्र अगर खारिज हो जाता है तो उसे अपील प्रस्तुत

करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.08.2019 को कायम रखा जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित नजीरात का हवाला दिया हैं

1. आर.बी.जे. 1995 पेज संख्या 780
2. आर.बी.जे. 1995 पेज संख्या 8
3. आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 381
4. आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 871
5. आर.आर.डी 1984 पेज संख्या 294
6. ए.आई.आर 1980 पेज संख्या 856

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से दिनांक 25.03.2014 को क्रय की। जिसका नामांतरकरण संख्या 124 दिनांक 21.07.2014 स्वीकृत किया गया। तभी से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बोनाफाईड क्रेता है। आंवटी को भूमि आवंटीत हुए करीबन 50 वर्ष होने जा रहे हैं। 50 वर्षो से भूमि को काश्त कर कृषि योग्य बनाया हैं। साथ ही कानून का यह सिद्धान्त है कि शिकायतकर्ता को शिकायत खारिज होने के उपरांत अपील करनें का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.08.2019 को कायम रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि नत्थूराम बिश्नोई को राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटन की गई। तत्पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए, जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 108 दिनांक 21.12.2012 को दर्ज किया गया। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त करने के संबंध में किसी प्रकार के ठोस दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किए हैं। 40 वर्ष के पश्चात मात्र एक शिकायत के आधार पर आवंटन को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। हम अधीनस्थ न्यायालय अति जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के अपीलांधीन आदेश दिनांक 07.08.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझतें। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर